

भाग III

हरियाणा सरकार

जेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जुलाई, 2007

संख्या का० आ० 63/ह० उ० 28/1988/धा० 3 तथा 4/2007.— हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 28) की धारा 3 की उप-धारा (4) तथा धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, जेल विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 11/प० अ० 11/62/धा० 3/77, दिनांक 14 अगस्त, 1977 तथा संख्या का० आ० 127/प० अ० 11/62/धा० 4/77, दिनांक 20 सितम्बर, 1977 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, सम्बद्ध मण्डल के मण्डल आयुक्त को उक्त धारा के अधीन हत्या, डकैती, बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या, दहेज हत्या मामलों तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अपराधों के लिए इसके अधीन विनिर्दिष्ट आधारों पर राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आगे सम्बद्ध जिले के अधीक्षक जेल को, जहां बंदी निरुद्ध है, केवल उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आधारों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आगे सम्बद्ध जिले के जिला मजिस्ट्रेट को उपरोक्त धाराओं के अधीन सभी शक्तियों, सिवाय उनके जहां मण्डल आयुक्त तथा अधीक्षक जेल यथा उपरोक्त प्राधिकृत किए गए हैं, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

के० एस० भोरिया,

वित्तीय एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

जेल विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

JAILS DEPARTMENT

Notification

The 30th July, 2007

No. S. O. 63/H.A. 28/1988/Ss. 3 and 4/2007.—In exercise of powers conferred by sub-section (4) of section 3 and sub-section (1) of section 4 of the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988 (Act No. 28 of 1988), and in supersession of Haryana Government, Jails Department, notification No. S. O. 111/P.A. 11/62/S. 3/77 dated the 14th August, 1977 and No. S. O. 127/P.A. 11/62/S. 4/77 dated the 20th September, 1977, the Governor of Haryana hereby authorizes the Divisional Commissioner of the concerned division to exercise the powers of the State Government under the said section on the grounds specified thereunder for the offences of murder, dacoity, rape, rape with murder, dowry death cases and NDPS Act.

The Governor of Haryana hereby further authorizes the Superintendent of Jail of the concerned district wherein the prisoner is detained to exercise the power of the State Government only in respect of the grounds specified in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act.

The Governor of Haryana hereby further authorizes the District Magistrate of the concerned district to exercise all the powers under the above sections except those, where Divisional Commissioner and Superintendent of Jail has been authorized as above.

K. S. BHORIA

Financial Commissioner and
Principal Secretary to Government,
Haryana, Jails Department.